केंद्रीय विद्यालय, ओ. एल. ऍफ़. रायपुर, देहरादून – 248008

दूरभाष – 0135-2788742. वेबसाइट - https://dehradunolf.kvs.ac.in

केंद्रीय विद्यालय, ओ. एल. ऍफ़. रायपुर, देहरादून में विद्यालय में स्थित कैंटीन 01.08.2024 से 31.07.2025 तक संचालन हेतु अनुबंध निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर वैध होगा | विद्यालय में निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 08.07.2024 है। निविदा 09.07.2024 को सुबह 11:30 बजे खोली जाएगी। ठेकेदार के पास वैध भोजन/खानपान या स्कूल कैंटीन चलाने के लिए आवश्यक कोई आवश्यक लाइसेंस या अनुमति होनी चाहिए। FSSAI प्रमाणपत्र आवश्यक है|

1. अनुबंध दिनांक 01.08.2024 से 31.07.2025 तक एक वर्ष के लिए मान्य होगा | अनुबंध को दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना के आधार पर निरस्त किया जा सकता है |
2. दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध को एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
3. प्राचार्या द्वारा ठेकेदार को कैंटीन चलाने हेतु एक कमरा दिया जायेगा | ठेकेदार को Rs.1600/- (Rupees One Thousand Six Hundred) प्रतिमाह कैंटीन का किराया (किराया एवं बिजली प्रभार सम्मिलित) जमा करना होगा।
4. ठेकेदार द्वारा अपनी इच्छानुसार कैंटीन में किसी भी प्रकार का निर्माण या अतिरिक्त कार्य या आंतरिक ढाँचे में फेर-बदल नहीं किया जाएगा एवं न ही किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति विद्यालय द्वारा ठेकेदार को की जाएगी |
5. ठेकेदार द्वारा कैंटीन के कमरे का रिहायसी व अन्य कार्यों हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा |
6. ठेकेदार को विद्यालय प्रांगण में कैंटीन व उसके आस-पास की जगह को साफ़-सुथरा रखने की जिम्मेदारी होगी| ठेकेदार किसी भी बाहरी ग्राहक को कैंटीन में आने-जाने की अनुमति नहीं देगा एवं सफाई का प्रबंध एवं सफाई पर खर्च ठेकेदार द्वारा स्वयं किया जायेगा |
7. ठेकेदार द्वारा यदि संभव हो तो एक महिला कर्मी को छात्राओं के साथ लेन-देन करने हेतु रखा जाये|
8. ठेकेदार केवल विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए खाने योग्य पदार्थ कैंटीन में बेचने हेतु तैयार करेगा एवं किसी भी बाहरी कार्य हेतु कोई भी भोजन इत्यादि तैयार नहीं करेगा | कैंटीन का पर्यवेक्षण किसी भी समय प्राचार्या द्वारा या कैंटीन कमेटी द्वारा किया जा सकता है |
9. ठेकेदार कैंटीन कमेटी/ प्राचार्या द्वारा सुझाई गयी वस्तुओं को स्वीकृत दरों पर ही बेचेगा | बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की सूची जो कि निविदा आमंत्रण प्रपत्र के साथ पहले ही दी जा चुकी है, संलग्न की जा रही है |
10. ठेकेदार का व्यवहार सभी स्टाफ सदस्यों के साथ एवं विद्यार्थियों के साथ उच्चकोटि व संतोषजनक होना चाहिए|
11. ठेकेदार द्वारा सभी कर्मचारियों एवं अध्यापकों को स्टाफ रूम या कार्यालय में चाय की सप्लाई देनी होगी |
12. बिक्री की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा का ठेकेदार द्वारा ध्यान रखा जायेगा | किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर उस पर गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी |
13. ठेकेदार द्वारा बिक्री की जाने वाली वस्तुओं के नकद/उधार भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी |
14. ठेकेदार द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुओं को तैयार करने की जिम्मेदारी, बैठने की व्यवस्था इत्यादि ठेकेदार को स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी |
15. कैंटीन की समयसारिणी प्राचार्या द्वारा अवगत करायी जाएगी |
16. ठेकेदार द्वारा रखे गए कर्मियों में 14 वर्ष से कम आयु के कार्य करने वाले को नहीं रखा जायेगा |

पृष्ठ 2 पर जारी /-

17. ठेकेदार द्वारा कैंटीन का प्रति माह का किराया जमा करना होगा |

18. विद्यालय में विभिन्न आयोजनों पर विद्यालय में खाना बनाने इत्यादि का ठेका यदि कैंटीन मालिक को नहीं दिया जाता है तो कैंटीन मालिक को उस आयोजन हेतु कैंटीन खाली करनी होगी ताकि दूसरा ठेकेदार उस आयोजन हेतु सुचारू रूप से काम कर सके |

19. कैंटीन ठेकेदार रखे गए कर्मियों के कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई.एस.आई. के भुगतान हेतु स्वयं उत्तरदायी होगा |

20. कैंटीन ठेकेदार को अपने कर्मचारियों का स्थानीय पुलिस से सत्यापन करना अनिवार्य होगा।

21. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन परिसर में खतरनाक या ज्वलनशील या कोई नशीला पदार्थ संग्रहीत नहीं किया गया है।

22. कैंटीन सभी कार्य दिवसों पर स्कूल समय के दौरान खानपान के लिए खोली जाएगी और स्कूल खत्म होने के अधिकतम एक घंटे बाद बंद कर दी जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

23. सुरक्षा जमा: सफल ठेकेदार केवी ओएलएफ देहरादून के पास रुपये की राशि जमा करेगा। बोली सुरक्षा के रूप में 5,000/- (पांच हजार रुपये मात्र)। अनुबंध पूरा होने पर बोली सुरक्षा ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा|

24. घटिया/बासी खाद्य पदार्थों के कारण स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वाली किसी भी घटना की स्थिति में ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसी भी खाद्य विषाक्तता/संदूषण के मामले में ठेकेदार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह खाद्य विषाक्तता/संदूषण के कारण होने वाले सभी खर्चों को वहन करेगा।

25. विक्रेता को अधिमानतः विभिन्न कार्यालयों में कैटरिंग या कैंटीन चलाने का कम से कम 6 महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए।

26. सभी तेल, मक्खन, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ आईएसआई/एगमार्क अनुमोदित होने चाहिए।

27. सभी पैक किए गए खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट/केक आदि केवल एमआरपी के अनुसार बेचे जाएंगे। चिप्स, कुरकुरे आदि जैसे किसी भी पैक किए गए भोजन को कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि विद्यालय के प्राधिकारी द्वारा वांछित और निषिद्ध है।

28. ठेकेदार को अपनी कोटेशन के साथ फर्म को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन और जीएसटी नंबर उपलब्ध कराना होगा। पैन नंबर जमा किए बिना कोई भी भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

रचना देव
प्राचार्य प्राचार्या
केन्द्रीय विद्यालय
ओ.एल.एफ.रायपुर
देहरादून-248008

<u>टेंडर फॉर्म के साथ सलंग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:</u>

1. पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण की प्रतिलिपि|
2. एफएसएसएआई प्रमाणपत्र की प्रति|
3. अनुभव प्रमाण पत्र आदि |
4. इस पपत्र के हस्ताक्षरित प्रतिलिपि |

ऊपर उल्लिखित नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार हैं। (ठेकेदार के हस्ताक्षर)

Seal and Signature of the Tenderer.

KENDRIYA VIDYALAYA, OLF, RAIPUR, DEHRADUN

List of articles

(Rates should be quoted / mentioned clearly – cutting / over writing is not permitted)

S.N.	Items	Quantity with Weight etc.	Rates to be quoted by the tenderer
1.	Hot Tea / गर्म चाय	One Cup (125 Ml.)	
2.	Hot Coffee / गर्म कॉफ़ी	One Cup (125 ML)	
3.	Samosa / समोसा	(Weight 100 gms.)	
4.	Vegetable / Aaloo Sandwich	Set of two piece	
5.	Bread with Butter/ ब्रेड – बटर	2 Pc (2 slices big + 25 gm butter)	
6.	Vada (Dal) / दाल वडा	1 Pics (35 gm)	
7.	Aloo Bonda / आलू बोंडा	01 Pc (40gm)	
8.	Panir Pakora / पनीर पकोड़ा	25 Gms. each	
9.	Vegetable Pakora / वेज पकोड़ा	1 plate (100 gms. With Chuttney)	
10.	Bread Pakora / ब्रेड पकोड़ा	40 gms. Per pcs. With Chutney	
11.	Idli-Sambar with Chutney	Plate Containing 04 Idlies	
12.	Upma / उपमा	Per Plate (100 gm)	
13.	Fried Rice / फ्राइड चावल	Per Plate (100 gm)	
14.	Seasonal fruit chaat / फ्रूट चाट	Per Plate (100 gm)	
15.	Poha / पोहा	Per Plate (75 gm)	
16.	Sweet Corn / मिठाई	Per Plate (50 gm)	
17.	Boiled Chana / उबला चना	Per Plate (50 gm)	
18.	Stuffed Parathas + Curd / दही पराठा	Per Plate	
19.	Amul Chhach / Lassi / छाछ – लस्सी	Per Pack	
20.	Fresh Lime Juice / Shikanji	Per Glass (150 ml)	
21.	Working lunch for official meeting In-Service Course etc. (As per advance order)	Puri / Chaptti / Rice / Vegetables / Dal, Salad, Papad, 01 piece Sweet on Per Meal / Thali basis.	
Minimum Canteen Rent Per Month is Rs.1600/-(One Thousand Six Hundred only) including electricity.			

Signature of Tenderer with Date

KENDRIYA VIDYALAYA, OLF, RAIPUR, DEHRADUN

Application Form for Running of School Canteen.

(to be submitted by the Firm / Individual / Supplier)

1	Name of the Firm / Individual.	
2	Address	
3	Registration / License No.(Attested Photostat copy of License issued by the local authority should be attached)	
4	GST No. (Photo copy to be enclosed)	
5	PAN Number (Photo Copy to be enclosed)	
6	FSSAI Registration No.	
7	Experience in years (photo state copy to be attached)	
8	Amount of Rent to be paid to the Vidyalaya every month	Rs. 1600/- (Rupees Sixteen Hundred Only)

All the Terms & Conditions with regard to the Registration of Firm are acceptable to me / us.

Date:_________ Signature

Seal